संख्या– /पाँच–7–2018

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2018

विषय: राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–9फ/(मान0स्वा0)/2018–19/2285, दिनांक 22.10.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट–2017 के अध्याय–8 के बिन्दु संख्या–46 के अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। सम्यक विचारोपरान्त राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन निम्नवत किया जाता है :–

1(a). सरकारी प्रतिनिधि–

01	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
02	संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
03	निदेशक (स्वास्थ्य) महानिदेशालय सेवा।	सदस्य
04	संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शाासन।	सदस्य
05	प्रमुख सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, डी0जी0पी0, उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, मानव संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
06	निदेशक, मेण्टल हास्पिटल, आगरा, बरेली, वाराणसी तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के मानसिक रोग विभाग के विभागाध्यक्ष।	सदस्य

1(B). गैर सरकारी प्रतिनिधि –

क.	विवरण	सदस्य
1.	डा0 शशी राय, प्रख्यात मनोरोग विशेषज्ञ।	सदस्य
2.	डा0 वेणु गोपाल झंवर, मानसिक रोग विशेषज्ञ।	सदस्य

3.	आलोक कुमार, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता।	सदस्य
4.	श्री माता प्रसाद, नैदानिक मनोचिकित्सक।	सदस्य
5.	नीलम फेलोज, मेंटल हेल्थ नर्स।	सदस्य
6.	1. कर्नल सत्यवीर सिंह यादव 2. यूसुफ खान (मनोरोग के उपचारित 02 व्यक्ति) द्वारा मनोरोगियों का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु।	सदस्य
7.	1. डा0 निशा मणि पाण्डेय 2. राजीव कुमार श्रीवास्तव (मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के देखभालकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हो)	सदस्य
8.	1. डा0 हरीश कुमार अग्रवाल 2. डा0 हेमन्त कुमार नायडू (गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधत्व करते हो/मानसिक रोगियों को सेवायें प्रदान करता हो)	सदस्य

1(C). मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer)

डा0 सुनील पाण्डेय, राज्य नोडल अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य/संयुक्त निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer), राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण।

मेण्टल हेल्थ एक्ट 2017 के अध्याय 8 के बिन्दु 53 के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का कार्य निम्नवत् हैः–

(अ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

a. राज्य प्राधिकरण का दिन–प्रतिदिन प्रशासन।

b. राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कार्य, कार्यक्रम और अंगीकृत विनिश्चयों का कार्यान्वयन।

c. राज्य प्राधिकरण के कार्य संबंधी कार्यक्रमों के प्रस्तावों को लेखबद्ध करना।

d. राज्य प्राधिकरण के राजस्व और व्यय के विवरण की तैयारी और बजट का निष्पादन करना।

(ब) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक वर्ष राज्‍य प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए भेजेगा–

a) पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए एक साधारण रिपोर्ट।

b) कार्य के कार्यक्रम।

c) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वार्षिक लेखा।

d) आगामी वर्ष के लिए बजट।

(स) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या–1226 (1)/पांच–7–2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, मानव संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
8– निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, आगरा, बरेली, वाराणसी।
9– विभागाध्यक्ष, मानसिक रोग विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10– विभागाध्यक्ष, मानसिक रोग विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
11– गैर सरकारी प्रतिनिधि के रूप में नामित समस्त सदस्य।
12– डा0 सुनील पाण्डेय, संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(असीम कुमार सिह)
विशेष सचिव।